न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—155/2019
राजस्व वाद अर्न्तगत धाराः—88 आर.टी.ए.

1.ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया ना.ज.कु.बली माता चरणजीत कौर पत्नि गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़। —वादी

बनाम

1 गुरसेवक सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया।
2 गगनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
3 सन्दीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
4 रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
5 सतवीर कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
6 इन्द्रजीत कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
7 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा सादुलशहर तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु एडवोकेट वादीगण
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

निर्णय दिनांकः— 16.10.2019

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी एवं. प्रति सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।

वादी के पिता प्रति सं.1 के नाम चक 27 ए.एम.पी. खाता सं 45/47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3—5—18 ज.सं. 2068—71 में तथा चक 25/1 ए.एम.पी.खाता सं. 44/109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3—5—2018 ज.सं. 2069—72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति सं.1 गुरसेवक सिंह पुत्र भूरा सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनके वारिसान उनके पुत्र वादी व प्रति सं. 2 ता 6 ही है। उक्त आराजी में वादी व प्रति सं. 2 ता 6 का उनके पिता प्रति सं. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है, किन्तु प्रति सं. 1 ता 6 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है।

अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । प्रति स. 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता अपनी–अपनी सहमति का जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रति सं.8 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 7 बावजूद तामील होने हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब दावा के साथ समस्त पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां पेश की गई जिन्हे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह के नाबालिग होने के करण उनकी माता चरणजीत कौर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबनदी चक 27 ए.एम. पी.खाता सं. 45/47 ज.सं.2068–71 प्रदर्श–1 व जमाबन्दी चक 25/1 ए.एम.पी. खाता सं. 44/109 ज.सं. 2069–72 प्रदर्श–2 करवाई गई। की।दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दीया पेश की है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 25/1 खाता संख्या 58 जमाबन्दी सम्वत् 2045 भूरासिंह पुत्र सरबनसिंह प्रदर्श–3,चक नं. 27 एएमपी खाता संख्या 58 जमाबन्दी सम्वत् 2048 भूरा पुत्र सरबन प्रदर्श–4, पेश की व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज विरास्तन नामान्तरण की जमाबन्दी नकलें भी पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 जा 6 द्वारा जरिये जवाब दावा के स्वीकार किया गया है, वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में वादी द्वारा प्रतिवाादी संख्या 1 के पिता भूरासिंह व स्वयं के नाम से विरास्तन नामान्तरण दर्ज की उपर्युक्त चकों की जमाबन्दी की प्रतियां पेश की जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से तथा सहमति जवाब दावा,वारिसान तस्दीक के आधार वाद वादी साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। मुताबिक वारिसान तस्दीक के वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 27 ए.एम.पी. खाता सं 45/47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3–5–18 ज.सं. 2068–71 में तथा चक 25/1 ए.एम.पी.खाता सं. 44/109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3–5–2018 ज.सं. 2069–72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादी मुताबिक घरू बंटवारा हिस्सा में आई है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भरासिंह सरबनसिंह के नाम की उपर्युक्त चकों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां पेश की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाब दावा पेश कर अपना हक त्याग वादी के पक्ष में किया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद

वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादी डिग्री किया जाता है कि चक 27 ए.एम.पी. खाता सं. 45/47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3–5–18 ज.सं. 2068–71 में तथा चक 25/1 ए.एम.पी. खाता स. 44/109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3–5–2018 ज.सं. 2069–72 में प्रति सं.1 के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार वादी ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी में से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–155 / 2019

1. ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया ना.ज.कु. बली माता चरणजीत कौर पत्नि गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1 गुरसेवक सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया।
2 गगनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
3 सन्दीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
4 रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
5 सतवीर कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
6 इन्द्रजीत कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
7 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा सादुलशहर तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्रीनक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादीगण व गुरमीत सिंह कलसी एड. प्रति सं. 1 ता 6 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण मुताबिक अर्जीदावा डिग्री किया जाताहै कि चक 27 ए.एम.पी. खाता सं. 45 / 47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3–5–18 ज.सं. 2068–71 में तथा चक 25 / 1 ए.एम.पी. खाता स. 44 / 109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3–5–2018 ज.सं. 2069–72 में प्रति सं.1 के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार वादी ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी में से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....निल....मुब्लिक.....निल...बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:06:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: